

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(३७)

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जावे न  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्रान : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2013/ 312

दिनांक: १०.०५.१३

92294250 84

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध वी.ए.एस. पटेल महाविद्यालय सेनपुरा मेंहगाँव झिण ( ) को सत्र  
2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित वी.ए.द्वितीय - (आ.पा., हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत सा०.), अति.विषय- राजनीतिशास्त्र,  
इतिहास, समाजशास्त्र, वी.एस-सी द्वितीय-(आ.पा., गणित, रसायन, भौतिक), अति.विषय-(ज्योतीजी, बॉटनी एवं कम्प्यूटर  
साइंस), वी.कॉम द्वितीय - प्लेन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बन्धता हेतु अनुशंसाएँ  
प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम  
1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

1. प्रो. आई.के. पात्रो, आचार्य, न्यूरोसाइंस अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. (संयोजक) (9425110063)
2. प्रो. विरेक बापट, आचार्य, समाजकार्य अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
3. प्रो. पी.के. गुप्ता, आचार्य, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर
4. प्रो. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष  
निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र,  
भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिनेंस तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा  
प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित  
करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये विण्यानुसार  
निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण  
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं  
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बन्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बन्धता  
संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ  
है। नियमानुसार अर्थरूप जगा करकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना  
अनिवार्य होगा। परिनियम 27(1)(7) के अनुसार सम्बन्धता प्राप्त किए बिना खात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा  
महाविद्यालय की कस्तुरियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. /  
मानवेदय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण  
दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्वर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बन्धता)

